

परिपत्र (Circular)

विषय: Goonj Shiksha Niketan में नियुक्ति, DD एवं कार्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

सभी संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि Goonj Shiksha Niketan में कार्य करने हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा:

1. Fresh Candidates के लिए नियम

जो भी Fresh Candidate Goonj Shiksha Niketan में कार्य करना चाहता/चाहती है, उसके लिए DD जमा करवाना अनिवार्य होगा।

परंतु यदि कोई उम्मीदवार DD जमा करने में असमर्थ है, तो उसके लिए संस्था द्वारा एक Target निर्धारित किया गया है। Target पूरा करने पर उसका DD माफ माना जाएगा।

ध्यान रहे:

- ऐसे उम्मीदवार 3 (तीन) वर्ष बाद किसी भी प्रकार का DD Refund Claim नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई DD जमा नहीं किया होगा।
- उम्मीदवार की Job तभी Start मानी जाएगी जब वह अपना Target पूरी तरह से Complete कर लेगा, जिसमें सभी Candidates के Full Documents एवं DD Process पूरा होना अनिवार्य है।

Target (Fresh Candidates के लिए):

Designation	Target
Goonj Teacher	30 Candidates
Block Supervisor	50 Candidates
District Project Controller Officer	80 Candidates
Zonal Head	100 Candidates

2. Jeevan Manch से Goonj में Convert होने वाले Candidates

जो उम्मीदवार Jeevan Manch से Goonj Shiksha Niketan में Convert हो रहे हैं और जिन्होंने Jeevan Manch में अपना DD कटवाया हुआ है, उन्हें Goonj में Convert होने के लिए अपना Pending DD पूरा करना अनिवार्य होगा।

यदि कोई उम्मीदवार Pending DD देने में असमर्थ है, तो उसके लिए भी संस्था द्वारा निम्नलिखित Target निर्धारित किया गया है:

Target (Conversion Candidates के लिए):

Designation	Target
Goonj Teacher	10 Candidates

Designation	Target
Block Supervisor	20 Candidates
District Project Controller Officer	50 Candidates
Zonal Head	70 Candidates

Target पूरा करने के बाद ही उम्मीदवार को Goonj Shiksha Niketan में विधिवत रूप से कार्यरत माना जाएगा।

3. Office एवं Allowance से संबंधित नियम

- किसी भी उम्मीदवार को संस्था द्वारा कोई Office उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
 - उम्मीदवार कहीं से भी बैठकर अपना कार्य कर सकता/सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं उम्मीदवार की होगी, संस्था की नहीं।
 - यदि कोई उम्मीदवार अपना निजी Office खोलना चाहता/चाहती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उम्मीदवार की स्वयं की होगी।
 - भविष्य में कोई भी उम्मीदवार संस्था से अपने Working Place को लेकर किसी भी प्रकार का कोई Claim नहीं कर सकेगा।
 - किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का Allowance नहीं दिया जाएगा और न ही उम्मीदवार भविष्य में इस संबंध में कोई दावा (Claim) कर सकेगा।
-

यह परिपत्र सभी वर्तमान एवं भविष्य के उम्मीदवारों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सभी उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें एवं पूर्ण रूप से पालन करें।

आदेशानुसार

Goonj Shiksha Niketan / Anjveda Vikas Sansthan